न्यायालयः श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ जिला—बड़वानी (म०प्र०)

<u>आपराधिक प्रकरण क्रमाक 389 / 2013</u> संस्थन दिनांक 05.07.2013

अभय कुमार पिता गिरधारीलाल गुप्ता, आयु 52 वर्ष, व्यवसाय कृषि, निवासी—अंजड़, तहसील अंजड़ , जिला — बड़वानी म.प्र.

---- परिवादी

विरुद्ध

वहाब पिता जाफर खान मंसूरी, आयु 50 वर्ष, व्यवसाय—व्यापार, निवासी—मारू मोहल्ला, अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.

> _____अभियुक्त _____

/ / निर्णय / /

(आज दिनांक 30.06.2015 को घोषित)

- 1. परिवादी द्वारा परकाम्य लिखित अधिनियम, 1881 की धारा 138 में दिनांक 17.05.2013 को प्रस्तुत परिवाद पत्र के आधार पर भारतीय स्टेट बैंक, शाखा अंजड़ में स्थित खाता कमांक 53027824118 दिनांक 20.03.2013 को परिवादी को अभियुक्त द्वारा रूपये 4,00,000/— का प्रथम प्रथम चेक कमांक 457364 एवं दिनांक 21.03.2013 को रूपये 1,50,000/— का द्वितीय चेक कमांक 457380 का जारी किये जाने पर उक्त चैक अभियुक्त के खाते में पर्याप्त धनराशि जमा नहीं होने के कारण अनादरित होने तथा उक्त धनराशि की मांग का सूचना पत्र परिवादी द्वारा अभियुक्त को दिये जाने के उपरांत भी अभियुक्त द्वारा उक्त राशि भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में परकाम्य लिखित अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।
- 2. प्रकरण में महत्वपूर्ण उल्लेखनीय स्वीकृत तथ्य यह है कि परिवादी एवं अभुियक्त आपस में परिचित होकर उनके मध्य अच्छे संबंध है। यह तथ्य भी स्वीकृत है कि अभियुक्त फुटकर में कपास का व्यापार करता है।

- 3. परिवादी का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अभियुक्त ने परिवादी से व्यापार कार्य में रूपयों की आवश्यकता होने से रूपयें 5,50,000 /— नगद उधारी के तौर पर प्राप्त किये थे तथा उक्त रूपयों को वापस भुगतान करने के लिए अभियुक्त ने उसे प्रथम चेक क्रमांक 457364 दिनांक 20.03.2013 का रूपये 4,00,000 /— तथा द्वितीय चेक क्रमांक 457380 दिनांक 21.03.2013 का रूपये 1,50,000 /— के अपने हस्ताक्षर कर प्रदान किये थे, जो भारतीय स्टेट बैंक, शाखा अंजड़ के थे। परिवादी ने अभियुक्त द्वारा दिये गये चेकों को भुगतान प्राप्ति के लिए अपने खाते वाली एक्सिस बैंक, शाखा बड़वानी में जमा किये थे, जिनका भुगतान उसे प्राप्त नहीं हुआ तथा परिवादी के बैंक द्वारा उसे दिनांक 22—23 / 03 / 2013 को सूचित किया गया। अभियुक्त के खाते में चेक के भुगतान की पर्याप्त धनराशि नहीं है। इसलिए परिवादी ने उक्त चेकों के अनादरण के 30 दिवस के भीतर अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 13.04. 2013 को सूचना पत्र प्रेषित कर चेकों की धनराशि की मांग की, लेकिन अभियुक्त ने विहित समयावधि में उक्त चेकों की राशि का भुगतान परिवादी को नहीं किया है, इसलिए परिवादी ने यह परिवाद प्रस्तुत किया है।
- 4. परिवाद पत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री मसूद एहमद खान, तत्कालीन न्यायिक मिजस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंजड़ द्वारा अभियुक्त के विरूद्व परकाम्य लिखित अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अंतर्गत अपराध विवरण विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 द.प्र.स. के परीक्षण में अभियुक्त ने निर्दोष होना व्यक्त किया है तथा बचाव में साक्ष्य देना व्यक्त किया।
- 5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित हैं :--
 - 1. क्या अभियुक्त ने परिवादी को दिनांक 20.03.2013 को 4,00,000 / रूपये का प्रथम चेक क्रमांक 457364 एवं दिनांक 21.03.2013 को 1,50,000 / रूपये का द्वितीय चेक क्रमांक 457380 विधिक ऋण दायित्व के उन्मोचन हेत् जारी किया था ?
 - 2. क्या उक्त चेक विधिमान्य अविध में बैंक में प्रस्तुत किये जाने पर अभियुक्त के खाते में अपर्याप्त धनराशि होने के कारण अनादरित हो गये थे ?
 - 3. क्या अभियुक्त ने परिवादी द्वारा उक्त धनराशि की मांग करते हुये पंजीकृत डाक द्वारा उसे दिये गये सूचना पत्र का निर्वाह स्वयं पर टाल दिया और उक्त राशि का भुगतान निर्धारित समयाविध में नहीं किया ?

यदि हॉ, तो उचित दंडाज्ञा ?

6. परिवादी की ओर से अपने पक्ष समर्थन में परिवादी साक्षी अभय कुमार (परि.सा.1) के कथन कराए गये हैं, जबिक अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में स्वयं वहाब ब.सा. 1, छोटी खा ब.सा. 2 एवं मुबारिक ब.सा. 3 के कथन कराये गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार विचारणीय प्रश्न कमांक 1, 2 एवं 3 के संबंध में

- प्रकरण मे आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उक्त तीनों विचारणीय प्रश्न परस्पर सहसंबंधित होने से उक्त तीनों विचारणीय प्रश्न का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। अभय कुमार (परि.सा.1) ने अपने कथन में बताया कि अभियुक्त को व्यापार कार्य में रूपयों की आवश्यकता होने से अभियुक्त ने रूपये 5,50,000 / – नगद उधारी के तौर पर प्राप्त किये थे तथा उक्त रूपयों को वापस भुगतान करने के लिए अभियुक्त ने उसे प्रथम चेक क्रमांक 457364 दिनांक 20.03.2013 का रूपये 4,00,000 / - तथा द्वितीय चेक कमांक 457380 दिनांक 21.03.2013 का रूपये 1,50,000 / – का ग्राम अंजड में अपने हस्ताक्षर कर प्रदान किये थे, जो भारतीय स्टेट बैंक, शाखा अंजड़ के थे। उसने अभियुक्त द्वारा दिये गये चेकों को भुगतान प्राप्ति के लिए अपने खाते वाली एक्सिस बैंक, शाखा बड़वानी में जमा किये थे, जिनका भुगतान उसे प्राप्त नहीं हुआ तथा उसके बैंक द्वारा उसे दिनांक 22-23/03/2013 को सूचित किया गया। अभियुक्त के खाते में चेक के भूगतान की पर्याप्त धनराशि नहीं है। इसलिए उसने उक्त चेकों के अनादरण के 30 दिवस के भीतर अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 13.04.2013 को सूचना पत्र प्रेषित कर चेकों की धनराशि की मांग की, लेकिन अभियुक्त ने विहित समयावधि में उक्त चेकों की राशि का भ्गतान उसका नहीं किया है। परिवादी का यह भी कथन है कि अभियुक्त ने उसके साथ धोखाधड़ी कर जानबूझकर उसके खाते में रूपये नहीं होने पर झुठे एवं फर्जी चेक जारी किये थे। उसे अभियुक्त द्वारा उसके पक्ष में जारी किये गये चेक प्रदर्शपी 1 व 2 है, बैंक में जमा पर्ची प्रदर्शपी 3 व 4 है, उसके बैंक का अनादरण मेमो प्रदर्शपी 5 एवं 6 है, अभियुक्त को भेजे गये सूचना पत्र की प्रतिलिपि प्रदर्शपी 7 है, पोस्टल रसीद प्रदर्शपी 8 है एवं प्राप्ति अभिस्वीकृति प्रदर्शपी 9 है जो प्रदर्शित कराये हैं।
- 8. अभियुक्त की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि वह अभियुक्त को 15—20 वर्षों से जानता है, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि 5—10 हजार रूपये का कपास क्य—विक्रय करता है। साक्षी ने स्पष्ट किया कि अभियुक्त महाराष्ट्र जाकर 3 से 4 लाख रूपये का कपास क्य—विक्रय करता है तथा उससे भी क्रय करता है। अभियुक्त प्रतिवर्ष कपास क्रय करता है तथा पिछले 8—10 वर्षों से उससे कपास क्रय करता था, पिछले वर्ष भी उसने अभियुक्त को रूपये 3,50,000 का कपास विक्रय किया था, लेकिन किस दिनांक को विक्रय किया था वह दिनांक उसे याद नहीं है और

उसके पास कपास विक्रय की कोई रसीद भी नहीं है, लेकिन साक्षी ने स्पष्ट किया कि कपास घर से लिया था। परिवादी ने स्वीकार किया कि उसने अभियुक्त को इस व्यवहार के पूर्व भी आवश्यकता होने पर 10 से 20 हजार रूपये दिये थे, लेकिन परिवादी ने इस सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्त विगत 4–5 वर्ष से उससे रूपये आवश्यकता पड़ने पर उधार लेता था और वापस भी देता था। परिवादी का स्पष्ट कथन है कि उसने अभियुक्त को 5 फरवरी को रूपये 4 लाख उधार दिये थे लेकिन उसने उक्त रूपयों का कोई इंद्राज घर पर नहीं किया था। उसने अभियुक्त को दिये गये रूपयों में से 1,50,000 बैंक से निकाले थे और उसके पास घर पर कपास विक्रय के 3,50,000 रूपये थे। उसने अपना कपास मण्डवाडा के व्यापारी यतिन्द्र चोपडा को दिया था। परिवादी इस सुझाव से इंकार किया कि प्रदर्शपी 1 एवं 2 की इबारत उसके हाथ से लिखी हुई है, लेकिन साक्षी ने यह जानकारी होने से इंकार किया कि प्रदर्शपी 1 एव 2 की इबारत अभियुक्त के हाथ की लिखी हुई है या नहीं। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्त पढ़ा–लिखा नहीं है और केवल हस्ताक्षर करना जानता है, लेकिन साक्षी ने यह जानकारी होने से इंकार किया कि प्रदर्शपी 1 व 2 के चेक की लिखावट अभियुक्त द्वारा की गई है या नहीं। साक्षी ने स्वीकार किया कि अभियुक्त ने प्रदर्शपी 7 का सूचना पत्र का उत्तर दिया था। परिवादी ने यह भी स्वीकार किया कि उसने प्रदर्शपी 7 के सूचना पत्र में एवं परिवाद में अभियुक्त को ऋण देने की दिनाक का उल्लेख नहीं किया है और उसने अभियुक्त को दिनांक 5 फरवरी 2013 को ऋण देने का कोई लिखित दस्तावेज भी पेश नहीं किया है। परिवादी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने अभियुक्त को 5–6 वर्ष पूर्व उक्त रूपये उधार दिये थे अथवा उसने अभियुक्त को लगभग 2 वर्ष में साप्ताहिक रूप से उक्त रूपये वापस वसूल कर लिये थे। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह अभियुक्त को 5-6 वर्ष पूर्व रूपये उधार देते समय दो कोरे चेक हस्ताक्षर करके जमानत के तौर पर प्राप्त कर लिये थे। परिवादी ने यह जानकारी होने से इंकार किया कि उसने अभियुक्त से 2 चेक जब प्राप्त किये थे जब उसका खाता बैंक में नहीं था अथवा उसने अभियुक्त का खाता बैंक मे खुलवाया था। परिवादी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने अवधि बाहर राशि को प्राप्त करने के लिए उक्त दोनों चेक बाद में भरकर बैंक में प्रस्तुत किये थे और इसी कारण परिवाद एवं सूचना पत्र में लोन लेने की दिनांक का उल्लेख नहीं किया है। परिवादी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने अभियुक्त के विरूद्ध असत्य परिवाद लगाया है।

9. अभियुक्त ने स्वयं का परीक्षण द.प्र.स. की धारा 315 के अंतर्गत कराया है। अभियुक्त का कथन है कि वह हाट बाजार में जाकर छोटा सामन कृषि उपज हेतु बैचने का कार्य करता है वह थोक का व्यापारी नहीं है। कभी उसे रूपयों की आवश्यकता होती है तो उसे 30 से 40 हजार रूपये दे देता था जिसका ब्याज प्रतिमाह रूपये 3 प्रतिशत प्रतिमाह प्रति सैकड़ा का था। उक्त मूलधन एव ब्याज के बदले वह परिवादी को 15 हजार रूपये प्रतिमाह अदा करता था जो परिवादी प्रतिमाह उसके घर पर आकर ले जाता था। वह परिवादी

को उक्त रूपये अपनी बुआ छोटी बाई के हाथ से भिजवाता था उसने परिवादी से कभी भी रूपये 4,00,000/— और 1,50,000/— रूपये एकमुश्त नहीं लिये थे। जो पैसे परिवादी उसे देता था उसके बदले उसे दो चेक परिवादी को दिये थे जिन पर कोई रकम नहीं भरी हुई थी व कोई नाम भी नहीं लिखा हुआ था। वह पढ़ा—लिखा नहीं है केवल हस्ताक्षर करना जानता है। प्रदर्शपी 1 व 2 के चेक पर ए से ए एवं बी से बी भाग पर उसके हाथ का लिखा हुआ नहीं है। उसे परिवादी का सूचना पत्र प्राप्त हुआ था जिसका जवाब उसके अधिवक्ता द्वारा प्रदर्शडी 1 का दिया गया था, उसकी पोस्टल रसीद प्रदर्शडी 2 व प्राप्ति रसीद प्रदर्शडी 3 जिसके ए से ए भाग पर परिवादी के हस्ताक्षर है। अभियुक्त का कथन है कि उसको परिवादी का कुछ भी देना बकाया नहीं है। परिवादी ने मिथ्या दावा लगाया है।

परिवादी की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में अभियुक्त ने स्वीकार किया कि उसका परिवादी से लेन-देन 5-10 वर्षों से चल रहा है उसने अपने व्यापार का कोई हिसाब-किताब नहीं रखा। उसने परिवादी के अतिरिक्त अन्य किसी से पैसे नहीं लिये थे उसने परिवादी के साथ हुए लेन-देन का हिसाब भी नहीं रखा था। परिवादी उसे प्रतिवर्ष 40 हजार देता था जिसके बदले उससे 15 हजार रूपये प्रतिमाह ले जाता था। यह व्यवहार लगभग 8–10 वर्षो से चल रहा है। उसका एवं परिवादी का लेन-देन वर्ष 2012-13 तक चला था। उसके पिताजी की मृत्यू क बाद लेन-देन बंद हो गया था परिवादी ने उसके विरूद्ध चेक लगा दिया था। तब उसे पता चला था। जिस समय परिवादी ने उसके विरूद्ध चेक बैंक में लगाया था उस समय परिवादी उससे कोई रूपये नहीं मांगता था। अभियुक्त ने यह भी स्वीकार किया कि उसने जब भी परिवादी को रूपये दिये तब उससे कोई रसीद नहीं ली थी। अभियुक्त ने यह स्वीकार किया कि उसने अपने सूचना पत्र के जवाब में यह लिखाया था कि उसे आवश्यकता होने पर वह परिवादी से रूपये कभी 50 हजार तो कभी रूपये 1 लाख लेता था। साक्षी ने प्रदर्शपी 1 व 2 के चेक पर सी से सी भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये है, लेकिन अभियुक्त ने स्वीकार किया कि उस समय चेक कोरे थे। प्रदर्शपी 1 के डी से डी भाग पर भी अभियुक्त ने अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। अभियक्त ने स्वीकार कियर कि उसने परिवादी द्वारा कोरे चेक में मनमानी राशि भरकर बैंक में प्रस्तुत करने की कोई शिकायत थाना अंजड एवं पुलिस अधीक्षिक को नहीं की थी। अभियुक्त ने बैक में अपना खाता होना स्वीकार किया है। अभियुक्त ने यह भी स्वीकार किया कि वह प्रतिदिन कभी-कभी 2 से 3 क्विंटल तथा कभी कभी 5 से 7 क्विंटल कपास क्रय कर लेता है जो कभी 5 हजार रूपये तो कभी 10 -15 हजार रूपये का होता है। वह कपास क्रय कर लगभग 3 से 4 क्विंटल थोक व्यापारी के यहाँ कपास विक्रय करता है। वह कपास विक्रय करता है तो उसे कच्ची चिट्ठी बनाकर उसे देते है। अभियुक्त ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह किसानों के घर जाकर प्रतिदिन लगभग 20 से 25 क्विंटल कपास थोक में क्रय करता है। अभियुक्त ने स्पष्ट किया कि वह किसानों के घर जाकर कम मात्रा में कपास देता है।

अभियुक्त ने कपास का भाव लगभग 4000 / — से 4200 / — रूपये प्रति क्विंटल हेना स्वीकार किया है, लेकिन इस सुझाव से इंकार किया कि वह लाख से ढेड़ लाख रूपये का कपास प्रतिदिन क्य करता है। अभियुक्त ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह कपास इकट्ठा कर उसको प्रतिमाह एक बार में थोक में लगभग 20 से 25 लाख का विक्रय करता है। अभियुक्त ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसे प्रतिदिन लगभग लाख से ढेड़ लाख रूपये की आवश्कता कपास क्य करने के लिए होती है, लेकिन अभियुक्त ने यह स्वीकार किया है कि व्यापार में आवश्यकता होने पर वह परिवादी से रूपये 30 से 40 हजार रूपये उधार लेता था, लेकिन अभियुक्त ने इस सुझाव से इंकार किया कि परिवादी उसे रूपये 5,50,000 मांगता था, जिसने उसके लिए परिवादी को एक चेक रूपये 4,00,000 / — का एवं दूसरा चेक 1,50,000 / — का दिया था। अभियुक्त ने स्पष्ट किया कि उसने कोरे चेक दिये थे लेकिन इस सुझाव से इंकार किया कि वह परिवादी को पैसे नहीं देना चाहता है इसलिए असत्य कथन कर रहा है।

- छोटी खा ब.सा. 2 का कथन है कि वह परिवादी को जानती है 11. तथा अभियुक्त उसका भजीता है। अभियुक्त परिवादी से छोटी मात्रा में रूपये कभी 40 हजार तो कभी 50 हजार लेता था, जिसकी वापसी में 15 हजार रूपये प्रतिमाह अभियृक्त देता था, तथा कभी वह भी रूपये देने जाती थी। अभियुक्त ने परिवादी से कभी भी 5,50,000 रूपये एकमुश्त नहीं लिये थे। परिवादी की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि वह अभियुक्त के पास कपास क्रय करने जाती थी। दिन भर में लगभग 1 या 2 क्विंटल कपास क्रय कर लेती है। उनके द्वारा जितना कपास क्रय किया था उसे उसी दिन विकय कर दिया जाता था। अभियुक्त द्वारा जो रूपये लिये जाते थे उसका डायरी में इंद्राज नहीं किया जाता था, लेकिन साक्षी ने स्पष्ट किया कि परिवादी अपनी डायरी में इंद्राज करता था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि परिवादी के अभियुक्त पर 5,50,000/— रूपये बकाया थे अथवा अभियुक्त ने परिवादी को एक चेक 4,00,000/— रूपये का तथा दूसरा चेक 1,50,000/— रूपये का दिया था। साक्षी ने स्पष्ट किया कि अभियुक्त ने 2 कोरे चेक दिये थे लेकिन इस सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्त की बुआ होने के कारण वह असत्य कथन कर रही है।
- 12. मुबारिक ब.सा 3 ने भी परिवादी से अभियुक्त द्वारा बाजार में कपास क्रय करने के लिए 30 से 40 हजार रूपये उधार स्वरूप प्राप्त करने और वापस प्रतिमाह रूपये 15 हजार ब्याज सिहत वापस करना बताया है। साक्षी का यह भी कथन है कि अभियुक्त ने परिवादी को दो कोरे चेक वर्ष 2009—10 में दिये थे। परिवादी की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने अभियुक्त के पास वर्ष 2006 से वर्ष 2011 तक मजदूरी की थी। अभियुक्त उससे घर पर लटकन, झुमकी का कार्य करवाता था एवं हाट बाजार में सामान क्रय करने के लिए साथ में ले जाता था। अभियुक्त कितना कपास क्रय करता था तथा कितना विक्रय करता था उसका हिसाब वही रखता था।

अभियुक्त व्यापार के लिए किन व्यक्तियों से पैसा उधार लेता था, इसकी उसे जानकारी नहीं है। साक्षी ने स्पष्ट किया कि परिवादी अभियुक्त के पास आता था और रूपये ले जाता था। अभियुक्त परिवादी को रूपये 15 हजार रूपये प्रतिमाह देता था और अभियुक्त को आवश्यकता होने पर परिवादी अभियुक्त की बुआ को 30 से 40 हजार रूपये दे जाता था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उक्त लेन—देन के अतिरिक्त अभियुक्त एवं परिवादी का अन्य कोई लेन—देन हुआ हो तो उसे जानकारी नहीं है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि अभियुक्त ने परिवादी से वर्ष 2013 में 4,00,000/— रूपये उधार प्राप्त किये थे अथवा अभियुक्त ने परिवादी 2,50,000/— रूपये एवं 1,50,000/— रूपये का चेक दिया हो तो उसे जानकारी नहीं है, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह अभियुक्त के पक्ष में उसे बचाने के लिए असत्य कथन कर रहा है।

- परिवादी ने अपने समर्थन में जो दस्तावेज पेश किये है उनमें प्रदर्शपी 1 व 2 अभियुक्त द्वारा दिये गये चेक है जिन पर अपने हस्ताक्षर होना अभियुक्त ने इंकार नहीं किया है। उक्त चेक अभियुक्त के खाते में अपर्याप्त धनराशि होने के कारण ही अनादरित हुए है और उसकी मांग का सूचना पत्र परिवादी द्वारा विहित समयाविध में अभियुक्त को भेजा गया था जो प्रदर्शपी 7 है जो परिवादी ने प्रदर्शित कराया है और अभियुक्त ने उक्त सूचना पत्र प्राप्त पत्र होना स्वीकार किया है तथा उसका जवाब भी प्रदर्शडी 1 का अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा परिवादी को भेजा गया था। उक्त प्रदर्शडी 1 के सूचना पत्र में अभियुक्त ने परिवादी से समय-समय पर रूपये उधार प्राप्त करना स्वीकार किया हैं। यहाँ तक कि अभियुक्त ने अपने द.प्र.स. की धारा 315 के अंतर्गत किये गये परीक्षण में भी परिवादी को प्रदर्शपी 1 व 2 को चेक पर अपने हस्ताक्षर कर देना स्वीकार किया है। अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत बचाव साक्षियों ने भरी अभियुक्त द्वारा परिवादी को कई बार पैसे उधार लेने की स्वीकारोक्ति की है। इस प्रकार स्पष्ट रूप से यह प्रमाणित होता है कि अभियुक्त द्वारा विभिन्न अवसरों पर परिवादी से रूपये उधार प्राप्त किये जाते रहे हैं और उसकी अदायगी के लिए अभियुक्त ने परिवादी को प्रदर्शपी 1 व 2 का चेक अपने हस्ताक्षर से जारी किया था। यहाँ तक कि अभियुक्त ने प्रदर्शपी 1 व 2 पर अपने हस्ताक्षर भी स्वीकार किये है। ऐसी स्थिति में परकात्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 139 के अंतर्गत यह उपधारणा परिवादी के पक्ष में की जा सकती है कि परिवादी ने अभियुक्त से प्रदर्शपी 1 व प्रदर्शपी 2 के चेक अभियुक्त को उसे दिये गये ऋण के पूर्णतः या भागतः उन्मोचन के लिए प्राप्त किया था।
- 14. इस प्रकार परिवादी की साक्ष्य एवं प्रस्तुत दस्तावेजों से यह प्रमाणित होता है कि अभियुक्त के विरूद्ध दायित्व के अधीन अपने भारतीय स्टेट बैंक शाखा अंजड़ का खाता कमांक 53027824118 का प्रथम चेक कमांक 457364 रूपये 4,00,000 / का दिनांक 20.03.2013 का तथा इसी खाते का दूसरा चेक कमांक 457380 रूपये 1,50,000 / का परिवादी के पक्ष में अपने हस्ताक्षर से जारी किया गया था जो अभियुक्त के खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं

होने से अनादिरत हो गया था, जिसकी सूचना परिवादी के अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त को दिये जाने के बाद भी अभियुक्त ने उक्त चेक की धनराशि का भुगतान परिवादी को विहित समयाविध में नहीं किया जो कि परकाम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 का अपराध है। अः न्यायालय अभियुक्त वहाब खान पिता जाफर खान आयु 52 वर्ष, निवासी मारू माहेल्ला अंजड़ को परकाम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अपराध में दोषसिद्ध धोषित करता है।

- 15. अभियुक्त के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अभियुक्त निर्धन एवं मजदूर पेशा व्यक्ति है तथा विचारण का नियमित रूप से सामना किया है। अतः सहानूभूतिपूर्वक विचार किया जाये तथा परीविक्षा पर रिहा किया जाये, लेकिन प्रकरण की परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को तथा समाज में बढ़ रहे इस तरह के अपराधों को देखते हुए अभियुक्त को परीविक्षा पर रिहा करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः यह न्यायालय अभियुक्त वहाब खान पिता जाफर खान को परकाम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अपराध में दोषसिद्ध उहराते हुए 1 वर्ष के साधारण करावास से दिण्डत करता है।
- 16. धारा 357 (1) द.प्र.स. के अंतर्गत अभियुक्त परिवादी को प्रतिकर तथा कार्यवाहियों के खर्चे के रूप में 6,00,000 / रूपये (अक्षरी छः लाख रूपये मात्र) अदा करेगा। प्रतिकर की राशि अदा न करने की दशा में अभियुक्त 6 माह का साधारण कारावास पृथक से भुगतेगा।
- 17. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डे्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड़, जिला–बड़वानी (श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड़, जिला—बड़वानी

न्यायालयः श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , अंजड़ जिला बडवानी (म०प्र०)

/ / धारा 428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत / /

मै श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला—बड़वानी म0प्र0 आपराधिक प्रकरण क्रमांक 399 / 2006 (गिरीराज विरूद्व हुकुमचंद) में अभियुक्त की निरोध अवधि का प्रमाण पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत करता हूँ—

अभियुक्त का नाम :— हुकुमचंद पिता पूनमचंद यादव निवासी— ठीकरी, जिला बड़वानी

गिरफ्तारी का दिनांक :- निरंक

पुलिस रिमाण्ड की दिनांक :- निरंक

न्यायिक अभिरक्षा की दिनांक :- निरंक

राज पाण्डे्य)

मजिस्ट्रेट अंजड़,

जिला–बड़वानी, म0प्र0

(श्रीमती वन्दना

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक